>

Title: Need to refer issue of distribution of allocation of water and electricity generated in Punjab among Rajasthan and Haryana to Supreme Court for adjudication.

डॉ.िकरोड़ी लाल मीणा (दौसा) : इंडस जल संधि की शर्तों और सतलुज, व्यास और रावी नदियों के जल में हिस्से के संबंध में उत्तरवर्ती करारों के अनुसार राजस्थान ने पंजाब की करीबन 5 विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में विद्युत हिस्सेदारी के संबंध में दावे दायर किये थे। दिनांक 10.5.84 को ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार तथा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकारों के मध्य एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार भारत सरकार रांची और व्यास नदियों पर पंजाब द्वारा स्थापित थीन बांध, आनन्दपुर साहिब, मुकेरियन, यूबीडीसी चरण द्वितीय और शाहपुर कांडी जल विद्युत परियोजनाओं में उत्पादित विद्युत के लिए राजस्थान और हरियाणा का दावा सर्वोच्च न्यायालय को उसकी राय हेतु भेजेगी तथा भारत सरकार, राजस्थान और हरियाणा को केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों के अनावंटित हिस्से में से आवंटित किये गये हिस्सों से अतिरिक्त विद्युत आवंटन करने के दावों को भी ध्यान में रखेगी।

उक्त दोनों ही निर्णयों की अभी तक अनुपालना नहीं की गई, जबकि पंजाब ने आनन्दपुर साहिब, मुकेरियन, यूबीडीसी चरण द्वितीय तथा थीन बांध जल विद्युत परियोजनायें चालू कर उनकी विद्युत का उपयोग करना भी शुरू कर दिया।

पंजाब की विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत में राज्यों का हिस्सा तय करने के लिए पृष्ठभूमि विवरण बनाने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में फरवरी, 1999 में एक समिति का गठन किया गया था। राज्यों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सभी संबंधित राज्यों के हित में यही होगा कि पंजाब, हरियाणा राजस्थान तथा भारत सरकार के मध्य दिनांक 10.5.84 को किये गये समझौते की अनुपालना की जाये। अभी तक इस संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मुख्यमंत्री, राजस्थान ने दिनांक 31 अगस्त, 2007 के पत्र द्वारा केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय की राय हेतु रेफर करने का अनुरोध किया तथा समझौते के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान को केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों के अनावंटित कोटे से अतिरिक्त आवंटन देने पर विचार करने का आग्रह किया। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने दिनांक 11.10.2007 के पत्र द्वारा सूचित किया कि दिनांक 29–30.07.1992 तथा 6.08.2007 की बैठक के दौरान सर्वसहमति हुई थी कि इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने हेतु रेफर नहीं किया जावे। मुख्य मंत्री, राजस्थान ने दिनांक 19.03.2008 के पत्र के द्वारा केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री को स्पष्ट किया कि मुख्य मंत्रियों की उपरोक्त बैठकों के दौरान ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था। समयावधि के दौरान संबंधित राज्यों में सर्वसहमति नहीं होने के कारण राजस्थान समझौते के प्रावधानों के अनुसार इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने हेतु रेफर करने के लिए लगातार अनुरोध कर रहा है।

1984 के समझौते के तहत सभी साझेदार राज्यों को 10.5.84 के समझौते की सभी शर्तों की पालना करनी चाहिए।

दिनांक 10.5.84 के समझौते के अनुसार, भारत सरकार का नैतिक दायित्व है कि वह विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान और हरियाणा राज्यों की हिस्सेदारी के दावों से संबंधित मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय की राय हेतु रेफर करें।

1984 के समझौते के प्रावधानों के तहत भारत सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की राय लंबित होने की दशा में राजस्थान और हरियाणा को केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों के अनावंटित कोटे से अतिरिक्त विद्युत उनके अनुरोध पर उपलब्ध करवानी चाहिए।

भारत सरकार से अनुरोध है कि वह केन्द्रीय उपक्रमों के अनावंटित कोटे से राज्य के हिस्से में वृद्धि कर उसे कम से कम 35 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचाये।